राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

जी–3, राज महल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर
वेबसाईट– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in/ई-मेल– caodlb@gmail.com /टेलीफोन/फैक्स नं – 0141–2223074

क्रमांक : पीए/सीएओ/2017/11748 दिनांक:– 11 SEP 2017

–:: परिपत्र ::–

वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र एफ.(थ–75)डीटीए/आईएमएमएस दिनांक 30.09.2016, दिनांक 21.04.2017, दिनांक 11.08.2017 एवं दिनांक 22.08.2017 में दिए गये निर्देशों की अनुपालना में कोष/उपकोष में संधारित पी0डी0 खातो से पी0डी0 पैमेन्ट एडवाईस के माध्यम से ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की प्रक्रिया दिनांक 01.09.2017 से प्रारम्भ कर दी गई है। वित्त विभाग के उपरोक्त परिपत्रो के अनुसार दिनांक 01.09.2017 से समस्त भुगतान paymanger.raj.nic.in के माध्यम से ऑनलाईन किये जाने है। वेतन के भुगतान हेतु pripaymanger.raj.nic.in पर भी विकल्प उपलब्ध है।

इसके लिये प्रत्येक निकाय को ऑफिस आई.डी. इस विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया सम्पादित कर IFMS के माध्यम से जारी की जा रही है।

वेतन भुगतान के संबंध मे निगमो/निकायो से जानकारी प्राप्त हुई है कि pripaymanger.raj.nic.in पर निकायो के पद मैप नही होने के कारण वेतन भुगतान में कठिनाई आ रही है। इस संबंध में अतिरिक्त निदेशक (IFMS) कोष एवं लेखा से वार्ता की गई। वार्ता के निष्कर्ष के रूप में निगमों/निकायों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन भुगतान के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते है:–

1. निगमों एवं निकायों के कार्मिकों के पद किसी भी सर्विस हेड से लिंक नही है। इनके वेतन भुगतन हेतु राज्य सरकार द्वारा संवेतन मद में राशि उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। सरकार द्वारा निगमों को बजट मद 2217–80–191–03–00 एवं निकायो को बजट मद 2217–80–192–45–01 में चूंगी पुनर्भरण अनुदान के रूप में राशि आवंटित की जाती है, जिसका उपयोग निगम/निकाय वेतन भत्तों के साथ अन्य मदों पर भी किया जाता है।
2. निगमों एवं निकायों के कार्मिकों को वेतन मद से भुगतान नहीं किया जाता है। अतः इन कार्मिकों का वेतन आहरण pripaymanger.raj.nic.in के माध्यम से आहरण किया जाना आवश्यक नही है।
3. निगमों एवं निकायों के कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु संकलित रूप से राशि paymanger.raj.nic.in पर Other P.D. Payment Option के माध्यम से तैयार कर निगम/निकाय के बैक खाते (Third Party में डाटा एन्ट्री कर) में राशि हस्तांतरित करावें एवं पूर्व की भांति कार्मिको का भुगतान करें।
4. इस प्रक्रिया में यदि कोषालय द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति की जाती है तो संबंधित कोषाधिकारी को अतिरिक्त निदेशक (IFMS) कोष एवं लेखा से वार्ता करने हेतु अनुरोध करें।

(हुलास राय पवार)
मुख्य लेखाधिकारी

क्रमांक : पीए/सीएओ/2017/11749-942 दिनांक:– 11 SEP 2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

01.अतिरिक्त निदेशक (IFMS), कोष एवं लेखा,राजस्थान, जयपुर।
02.कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, समस्त राजस्थान।
03.आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
04.प्रभारी, वेबसाईट, निदेशालय एवं समन्वयक सीएमएआर को वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

मुख्य लेखाधिकारी